



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 23.05.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा विक्रम मावी हत्याकांड के 01 इनामिया अपराधी को दिनांक 23.05.24 को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा नाजायज मय जिंदा व खोखा कारतूस एव 01 चाकू आला कल्ल खूनालूदा (हत्या की घटना में प्रयुक्त) तथा 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामदा 01 अभियुक्त मौके से फरार

दिनांक-23/05/24 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक-11/05/24 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में पाइपलाइन रोड पर टीला के विक्रम मावी की हत्या करने वाले बदमाश बंधला नहर की और से कच्चे रास्ते से आ रहे है तथा कही भागने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस, द्वारा अंडरपास सेवाधाम के पास सघन चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्धों को टोर्च की रोशनी दिखा कर रोकने का प्रयास किया तो दोनो संदिग्ध पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा कर वापस मोटरसाइकिल मुडाकर भागने का प्रयास करने लगे तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई जिसके उपरांत बदमाश पुलिस टीम को निशाना कर जानलेवा फायर करने लगे पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें 01 बदमाश घायल हो गया। तथा 01 बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश ने मौके पर ही संक्षिप्त पूछताछ में अपना नाम गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली तथा भागने वाले साथी का नाम टिकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद बताया तथा बताया कि उन्होंने ही पवन भाटी के साथ मिलकर विक्रम मावी की हत्या की है। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर हत्या का अभियोग पंजीकृत है थाना कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त मुकदमें में ही अभियुक्त गौरव की गिरफ्तारी पर 25000 रूपये तथा अभियुक्त टिकू उर्फ हेमंत की गिरफ्तारी पर 50000 रूपये का पुरस्कार घोषित है। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जायेगी।

अभियुक्तगण का नाम पता

1. गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली (घायल)
2. टिकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद। (मौके से फरार)

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस

2. एक अदद मोटरसाइकिल चोरीशुदा

3. एक अदद चाकू आला कल्ल खूनालूदा (हत्या की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ,

थाना शालीमार गार्डन पुलिस व साइबर टीम द्वारा भारती एक्सा प्राइवेट लिमिटेड इंश्योरेंस कम्पनी के नाम पर ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से अपने खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से (भिन्न-भिन्न) कम्पनियों के अवैध 180 एक्टिव सिम कार्ड, 01 लैपटॉप व 02 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 23.05.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस व साइबर टीम द्वारा चेंकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर भारती एक्सा प्राइवेट लिमिटेड इंश्योरेंस कम्पनी के नाम पर ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से अपने खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1.अमित राठौर पुत्र योगेन्द्र सिंह पता म0नं0 1329 शक्ति नगर थाना हापुड़ कोतवाली जिला हापुड़ उम्र 29 वर्ष, 2.विनय कुमार पुत्र जसवीर सिंह पता ग्राम व पोस्ट बैवुलपुर थाना बिजनौर शहर जिला बिजनौर उम्र 29 वर्ष, 3.संजीव पुत्र विनोद कुमार पता म0नं0 06 नियर कैप्टन स्कूल ,मिल गेट, थाना एचटीएम, जिला हिसार हरियाणा उम्र 26 वर्ष को ताहिरपुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसने कब्जे से (भिन्न-भिन्न) कम्पनियों के अवैध 180 एक्टिव सिम कार्ड, 01 लैपटॉप व 02 मोबाइल फोन बरामद हुए । अभियुक्तगणों उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि हम तीनों व्यक्ति इन सिमों को साइबर धोखाधड़ी करने वाले भिन्न-भिन्न लोगो को अपने लैपटॉप के माध्यम से फर्जी कम्पनी बनाकर आनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए सम्पर्क करके बेचते हैं । एक व्यक्ति जो दिल्ली से अवैध सिम खरीदने यहां आने वाला था । उसी के इन्तजार में हम तीनों यहां खड़े हुए थे । हम तीनों व्यक्तियों से बरामद सिम कार्ड को एक्टिव करने तथा उनका साइबर अपराध में प्रयोग करने के उद्देश्य से बेचकर अवैध धन कमाने के लिये करते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. अमित राठौर पुत्र योगेन्द्र सिंह पता म0नं0 1329 शक्ति नगर थाना हापुड़ कोतवाली जिला हापुड़ उम्र 29 वर्ष ।
2. विनय कुमार पुत्र जसवीर सिंह पता ग्राम व पोस्ट बैवुलपुर थाना बिजनौर शहर जिला बिजनौर उम्र 29 वर्ष ।
3. संजीव पुत्र विनोद कुमार पता म0नं0 06 नियर कैप्टन स्कूल ,मिल गेट, थाना एचटीएम, जिला हिसार हरियाणा उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से (भिन्न-भिन्न) कम्पनियों के अवैध 180 एक्टिव सिम कार्ड, 01 लैपटॉप व 02 मोबाइल फोन बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस व साइबर टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 23.05.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त राजा उर्फ हरेन्द्र पुत्र राजू उर्फ हरिशंकर निवासी गली न0 15 अंकुर इन्कलेव थाना करावल नगर दिल्ली-94 को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में कम दामों पर बेच देता हूँ। इस यामाह मोटरसाइकिल को मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी कर छिपा कर रखा हुआ था। आज मैं मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकला था और पुलिस चैकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राजा उर्फ हरेन्द्र पुत्र राजू उर्फ हरिशंकर निवासी गली न0 15 अंकुर इन्कलेव थाना करावल नगर दिल्ली 94, उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की मोटरसाइकिल यामाह FZS रजिस्ट्रेशन न0 DL5 SAG 6987 चेसिस नंबर ME121C08AB2030809, इंजन न0 21C8030911, रंग ब्लैक एण्ड ग्रीन सम्बन्धित ई -एफआईआर नंबर 013107 थाना e-Police Station MV theft दिल्ली

अपराधिक इतिहास

मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम